भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं 3857

12 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: संशोधित ब्याज सहायता योजना

3857. श्री बसवराज बोम्मईः

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार किसानों को किफायती ब्याज दर पर अल्पकालिक ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संशोधित ब्याज सहायता योजना (एमआईएस) को जारी रखने की स्वीकृति देती है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में, विशेषकर कर्नाटक राज्य में, किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से एमआईएसएस के अंतर्गत वर्तमान में राज्यवार कितने किसान अल्पकालिक कृषि परिचालन ऋण प्राप्त कर रहे हैं;

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत वित्तीय संस्थानों को संवितरित ब्याज सहायता की अद्यतन कुल राशि कितनी है;

(घ) क्या कुछ प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ और अन्य सहकारी संस्थाएँ उक्त योजना का कार्यान्वयन कर रही हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके माध्यम से दिए गए ऋण की मात्रा कितनी है, और

(ङ) ग्रामीण ऋण परिवेश को मजबूत करने और समय पर एवं किफायती ऋण पहुँच के माध्यम से कृषि विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ग): जी हाँ। सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए संशोधित ब्याज अनुदान योजना (एमआईएसएस) को जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से प्राप्त अल्पकालिक कृषि ऋणों पर रियायती ब्याज दरें प्रदान करना है।

इस योजना के तहत, किसानों को 7% की रियायती ब्याज दर पर केसीसी ऋण मिलता है। इस सुविधा के लिए, वित्तीय संस्थानों को 1.5% की अग्रिम ब्याज सहायता (आईएस) प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को 3% शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन (पीआरआई) मिलता है, जिससे ब्याज दर प्रभावी रूप से 4% प्रति वर्ष हो जाती है। आईएस और पीआरआई का लाभ 3 लाख रुपये तक की ऋण के लिए उपलब्ध है। तथापि, यदि अल्पकालिक ऋण संबद्ध गतिविधियों (फसल पालन के अलावा) के लिए लिया जाता है, तो ऋण राशि केवल 2 लाख रुपये तक सीमित है।

31 मार्च, 2025 तक, चालू किसान क्रेडिट कार्ड खातों की संख्या का कर्नाटक सहित राज्यवार विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है। वर्ष 2024-25 के लिए एमआईएसएस के अंतर्गत वितरित कुल ब्याज सब्सिडी (ब्याज अनुदान और शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन दोनों) इस प्रकार है:

(राशि रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	वर्ष	फंड का वितरण
1.	2024-25	17811.72

(घ): जी हां। ग्रामीण सहकारी बैंक (आरसीबी) अर्थात जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (डीसीसीबी) और राज्य सहकारी बैंक (एसटीसीबी) किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना को कार्यान्वित कर रहे हैं। 31 मार्च, 2025 तक ग्रामीण सहकारी बैंकों (आरसीबी) में सक्रिय केसीसी खातों का विवरण निम्नानुसार है:

(राशि रुपये करोड़ में)

बैंक	**सक्रिय केसीसी की संख्या**	**जारी किए गए ऋण की राशि**
ग्रामीण सहकारी बैंक	3,34,29,368	2,20,260.24
कुल सक्रिय केसीसी (सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और ग्रामीण सहकारी बैंक)	7,72,10,538	10,20,071.63

स्रोत: आरबीआई और नाबार्ड

पीएसबी: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक; पीवीबीएस: निजी क्षेत्र के बैंक; आरआरबी: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

(ड.): ग्रामीण ऋण इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने और समय पर तथा किफायती ऋण के माध्यम से कृषि विकास को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

i. सरकार का निरंतर प्रयास रहा है कि प्रभावी और सुगम ऋण के माध्यम से कृषि क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाए, जिसके लिए सरकार कृषि क्षेत्र के लिए ग्राउंड लेवल क्रेडिट (जीएलसी) लक्ष्य निर्धारित करती है। पिछले 5 वर्षों (2020-21 से 2024-25) के दौरान कृषि ऋण के अंतर्गत औसत उपलब्धि लक्ष्य का लगभग 113% रही है। वर्ष 2025-26 के लिए कृषि ऋण लक्ष्य 32.50 लाख करोड़ रूपए निर्धारित किया गया है, जिसमें पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन किसानों के लिए 5.0 लाख करोड़ रूपए का उप-लक्ष्य शामिल है।

ii. प्राथमिकता क्षेत्र लैंडिंग (पीएसएल) विनियमन के अनुसार सरकार ने यह अनिवार्य किया है कि बैंक अपने कुल ऋण का 18% कृषि और संबद्ध क्षेत्र को प्रदान करेंगे। वर्ष 2016 से छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक उप-सीमा तय की गई है जो वर्तमान में 10% है।

iii. सरकार पूरे भारत में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संशोधित ब्याज अनुदान योजना (एमआईएसएस) नामक एक 100% केंद्र-वित्तपोषित केंद्रीय क्षेत्र योजना कार्यान्वित कर रही है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के लिए **किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी)** के माध्यम से लिए गए अल्पकालिक कृषि ऋणों पर रियायती ब्याज दरें प्रदान करना है।

iv. केसीसी-एमआईएसएस योजना के कारण किसानों को अपनी परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आसान और किफायती ऋण की सुलभता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्ष 2024-25 में सक्रिय केसीसी खातों की संख्या 7.72 करोड़ तक पहुँच गई है, जिससे ऋण राशि वर्ष 2013-14 के 4.26 लाख करोड़ रूपए से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 10.20 लाख करोड़ रूपए हो गई है।

v. पिछले ग्यारह वर्षों में किसानों ने केसीसी के माध्यम से ऋण पर ब्याज अनुदान के रूप में 1.62 लाख करोड़ रुपये का लाभ उठाया है।

vi. इसी प्रकार, कृषि क्षेत्र में कुल ऋण प्रवाह लगभग चार गुना बढ़ गया है, जो वर्ष 2013-14 में 7.3 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 28.69 लाख करोड़ रुपये हो गया है।

vii. हाल ही में, आरबीआई ने 01.01.2025 से केसीसी में कोलैटरल फ्री ऋण सीमा को मौजूदा 1.6 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दिया है। इस कदम से, विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के लिए, ऋण सुलभता बढ़ेगी, क्योंकि उन्हें ऋण की कम लागत और ज़मानत के रूप में कुछ रखे जाने की आवश्यकताओं के समाप्त होने का लाभ मिलेगा।

viii. सरकार बैंकों, राज्य सरकार/केंद्र सरकार, आरबीआई, नाबार्ड आदि द्वारा आयोजित नियमित आईईसी अभियानों के अलावा किसान ऋण पोर्टल (केआरपी) जैसे प्रौद्योगिकी प्रयासों के माध्यम से किसानों के लिए इसे सुलभ बनाने हेतु कई पहल कर रही है।

*****